

प्रेषक,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पत्रांक/महानिदेश/

/निरीक्षण/2013-14 दिनांक 04 दिसम्बर 2013

विषय:

विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने, शैक्षणिक व अकादमिक कार्यों की गुणवत्ता के अनुश्रवण के उद्देश्य से विभाग द्वारा प्रत्येक माह विद्यालयों का नियमित निरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशालय के आदेश संख्या/शिविर/85/ 2013-14 दिनांक 12 नवम्बर 2013 द्वारा विद्यालयों के निरीक्षण हेतु राज्य स्तर से प्रत्येक जनपद के लिये नोडल अधिकारी नामित किये गये हैं। साथ ही प्रत्येक मण्डलीय, जनपदीय व ब्लाक स्तरीय अधिकारियों को भी निर्धारित न्यून निरीक्षण के निर्देश जारी किये गये हैं। जिसके क्रम में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा विद्यालयों में किये गये निरीक्षण की आख्या महानिदेशालय को उपलब्ध कराई गई, जिसमें निम्न शिक्षक बिना अवकाश स्वीकृति व अन्य कारणों से अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है।

क्र. सं.	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम व निरीक्षण तिथि	निरीक्षित जनपद	शिक्षक का नाम/विद्यालय	अभियुक्ति
1	श्री भूपेन्द्र सिंह नेगी, मुख्य शिक्षा अधिकारी, चमोली, दिनांक 21 अक्टूबर 2013	चमोली	1- श्री लाल बहादुर राजपूत, प्रवक्ता, रा0इ0का0, महलचौरी, चमोली। 2- श्री खीम सिंह कण्डारी, स0अ0, रा0इ0का0, महलचौरी, चमोली।	
2	श्री षष्ठी बल्लभ जोशी, राज्य परियोजना, प्रबन्धक, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, दिनांक 22 नवम्बर 2013	नैनीताल	01 शिक्षक रा0इ0का0, मालधनचौड़, नैनीताल।	
3	1- श्री राकेश चन्द्र जुगरान, संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, 2- श्री गोपाल स्वरूप, उप निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उत्तराखण्ड, दिनांक 22 नवम्बर 2013	हरिद्वार	03 शिक्षक रा0इ0का0, रानीपुर भेल, हरिद्वार।	-
4	श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत, उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, दिनांक 22 नवम्बर 2013	चम्पावत	श्री एस0एस0 त्रिपाठी, प्रवक्ता, अंग्रेजी, रा0इ0का0 सैलानीगोठ। (शिक्षक द्वारा दिनांक 07-04-2013 को अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। किन्तु अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हुआ। संभवतः शिक्षक का चयन उत्तर प्रदेश में माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर हो गया है)	दीर्घकाल से अनुपस्थित। मुख्य शिक्षा अधिकारी चम्पावत श्री त्रिपाठी की अनुपस्थिति के सम्बन्ध में स्वयं जांच कर अपनी संस्तुति सहित जांच आख्या महानिदेशालय को उपलब्ध करायें।

क. सं.	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम	स्तर	विद्यालय भवन की स्थिति		
			मरम्मत योग्य भवन	ध्वस्तीकरण योग्य भवन	भवन विहीन
1	2	3	4	5	6
7	कु0 माधुरी नेमी, संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड	माध्यमिक	रा0इ0का0 सहिया, देहरादून	—	रा.क.इ.का. सहिया, देहरादून
		प्रारम्भिक	—	रा0प्रा0वि0, सहिया, देहरादून	
8	श्री षष्ठी बल्लभ जोशी, राज्य परियोजना, प्रबन्धक, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड,	माध्यमिक	रा.प्रा.वि.बन्दरन्यूडा, नैनीताल	—	
		प्रारम्भिक	रा0बा0इ0का0, बैलपड़ाव, नैनीताल	रा0इ0का0, बैलपड़ाव, नैनीताल	
9	1— श्री राकेश चन्द्र जुगरान, संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, 2— श्री गोपाल स्वरूप, उप निदेशक, सोसी0ई0 आर0टी0, उत्तराखण्ड,	हरिद्वार	रा0प्रा0वि0 भेल	रा0प्रा0वि0 धनपुरा (आंशिक ध्वस्तीकरण)	
		प्रारम्भिक			
10	श्री विनोद कुमार ढौंडियाल, उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड	बागेश्वर	1—रा.उ.मा.वि., विलौना 2—रा.इ.का.बोहाला		

अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार मरम्मत योग्य अथवा ध्वस्तीकरण योग्य भवनों का आगणन शासन/विभाग द्वारा निर्धारित निर्माण एजेन्सियों से तैयार करवाकर अपनी संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सम्बन्धित निदेशालय को 01 माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उक्त के साथ ही मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून को निर्देशित किया जाता है कि रा0बा0इ0का0 सहिया, देहरादून को विद्यालय हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में राजस्व विभाग से अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुये प्रकरण की मासिक प्रगति से माध्यमिक निदेशालय के साथ ही महानिदेशालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(राधिका झा)

महानिदेशक

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ.सं./महानि0/ 5955-76/निरीक्षण/2013-14 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उक्त पर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मा. शिक्षा मंत्री जी उत्तराखण्ड को मा. मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
4. अपर निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
5. प्रभारी, एम.आई.एस. को इस निर्देश के साथ कि इस पत्र को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(राधिका झा)

महानिदेशक

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड